न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या 2019/00040 (40/2019) 225 आरटीएक्ट

1. संतोष पुत्री लादूराम पत्नी बनवारीलाल जाति शर्मा निवासी नेठराना हाल जोडकियां तहसील हनुमानगढ।
2. भूरीदत्त
3. रामदयाल
4. नत्थूराम

} पि0 लादूराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तह0 भादरा

5. बद्रीप्रसाद पुत्र शिवलाल जाति शर्मा साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (फौत)

5/1 कृष्णकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद
5/2 राजेश पुत्र बद्रीप्रसाद

} जाति ब्राम्हण निवासी नोठरानाम तहसील भादरा ।

5/3 रूकमा पुत्री बद्रीप्रसाद पत्नी ओंकर शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी गांव सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

5/4 अनिता पत्नी कृष्ण कुमार पुत्री बद्रीप्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी मकान नं. डी–65 आवासीय कालॉनी रीको श्रीगंगानगर।

6. बलराम
7. लिलाधर

} पि0 ठाकरराम जाति शर्मा निवासी नेठराना तह0 भादरा। तहसील भादरा

– अपीलान्ट

बनाम

1. रामसिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट साकिन नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. ठाकरराम पुत्र हुकमाराम जाति शर्मा निवासी नेठराना तह0 भादरा जिला हनुमानगढ।

2/1 आत्माराम
2/2 हनुमान
2/3 महीराम
2/4 कृष्णा

} पुत्रान ठाकरराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तह0 भादरा जिला हनुमानगढ

2/5 अनपूरी
2/6 मोहरादेवी

} पुत्रियां ठाकरराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तह0 भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. मनोज कुमार
4. सुरेश कुमार
} पुत्रान माता सीतादेवी जाति शर्मा निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

5. मनीराम वल्द शिवलाल जाति शर्मा निवासी नेठराना तह0 भादरा (फौत)

5/1 धोलादेवी उर्फ सरोज पत्नी मनीराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तह0 भादरा

5/2 कमलेश
5/3 कुसुम
} पुत्र पुत्रियां मनीराम जाति शर्मा साकिन नेठराना तह0 भादरा जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.02.2019 द्वारा उपखण्ड अधिकारी भादरा
प्र. सं. 157/2019 बअनवानी रामसिंह बनाम भूरीदत्त

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से ।
श्री भरतसिंह बेनीवाल अधिवक्ता अपीलाण्ट् सं0 1

निर्णय दिनांक – 25.02.2020

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायलाय में चक 6 एनटीआर के मु. नं. 31 के किला नं. 11, 20, 21 में स्थाई तामीर आदि नहीं करने के लिए पाबन्द करवाने व मु0 नं0 31 के किला उपरोक्त किलों के पश्चिम तरफ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में एक–एक बिस्वा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु धारा 251 आरटीएक्ट में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें दिनांक 18.11.2014 को खारिज कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने अपील प्रस्तुत की जो राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय 28.06.2017 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ''ए'' के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू– अभिलेख निरीक्षक या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करे। विचारण न्यायालय ने उसके पश्चात् वर्तमान अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2019 के द्वारा प्रार्थना–पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील बतौर तृतीय पक्ष प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्नगत भूमि जिसमें से रास्ता दिया जाना है अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। परन्तु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं जिससे भूमि अभिलेख में समस्त अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हों। प्रस्तुत जमाबंदी चक 6 एनटीआर खाता संख्या 72/130 में बद्रप्रसाद वल्द शिवलाल 2/9 हिस्सा मनोज कुमार सुरेश कुमार माता सीता 1/18 हिस्सा ब. हि.ब. मनीराम वल्द शिवलाल 1/18 हिस्सा, लाधूराम ठाकर जी पि0 हुक्मा ब. हि.ब 2/3 हिस्सा कौम ब्राम्हण साकिन नेठराना खातेदार रहिन बद्रीप्रसाद हि0 ओ0बी0सी0 शाखा नेठाराना के नाम से वरवक्त आवेदन पत्र दर्ज थी इसमें अपीलाण्ट के नाम भूमि दर्ज ही नही थी ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय उक्ताधार पर पारित ही नहीं किया जा सकता था।

4. अपीलाण्ट सं. 1 स्व0 लाधूराम की पुत्री है एवं अपीलाण्ट संख्या 2, 3, 4 की बहिन है का हक हिस्सा भी स्व0 लाधूराम की भूमि में निहित है एवं वह भी सह काश्तकार है परन्तु रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट संख्या 1 को विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही नहीं बनाया ना ही उसे साक्ष्य सुनवाई एवं जवाब का कोई अवसर दिया जबकि अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्व0 लाधूराम की भूमि में रास्ता स्वीकृत करने से उनके फौत होने की सूरत में अपीलाण्टा का मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम प्रश्नगत भूमि में हक हिस्सा होने से वह भी प्रश्नगत भूमि की सह खातेदार काश्तकार है। किसी खातेदार काश्तकार की भूमि के किसी हिस्से में से भी अगर रास्ता स्वीकृती का कोई आदेश दिया जाता है तो उसे सुना जाना आवश्यक है इसलिए अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट सं0 1 पीड़ित है एवं बतौर पीड़ित पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रही है जिसकी स्वीकृति अपीलाण्ट सं0 1 को प्रदान की जानी न्यायहित में आवश्यक है। शेष अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट ने अपीलाधीन निर्णय के संबंध में कोई सूचना नहीं दी । अपीलाण्ट संख्या 2 ता 5 ने विचारण न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि चक 6 एनटीआरक` मु. नं. 23 के किला नं. 21 ता 23 में से इन किलों के दक्षिणी तरफ से उत्तर से दक्षिण चलकर अपने खेत में अप्रार्थी/रेस्पो0 संख्या 1 प्रवेश करता है एवं यही सुविधाजनक रास्ता है परन्तु धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनिय में दिये प्रावधान कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

उल्लंघना में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है क्योंकि उक्त धारा में यह स्पष्ट प्रावधान किए हैं कि ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया हो'' जबकि मौजूदा प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार यह स्पष्ट था कि रेस्पो0 सं0 1 मु0 नं0 23 के किला नं. 21 ता 23 में से जो उनके परिवार के सदस्यों की भूमि है में से आवागमन करता है तो उक्त परिस्थितियों मु0 नं0 23 के किला नं. 21 ता 23 के खातेदार प्रहलाद पुत्र श्योचन्द को प्रकरण में पक्षकार बनाते हुए वैकल्पिक रास्ते बाबत विवेचना कर निर्णय पारित करना चाहिए था। आईएलआर ने दिनांक 21.12.2014 की रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार हल्का को प्रेषित कर दिये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को किसी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया ना ही अपीलाण्ट्स की उपस्थिति में रिपोर्ट तैयार की गई ना ही उक्त रिपोर्ट पर अपीलाण्ट्स के हस्ताक्षर हैं। रेस्पो0 संख्या 1 ने तत्परता से मु. नं. 23 के किला नं. 21 ता 23 में से आवागमन हेतू वैकल्पिक रास्ता का जिक्र ना करने की नियत से एक पक्षीय रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें अपीलाण्ट्स के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ सकता है इस प्रकार की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय विधि विरूद्ध पारित किया होने से निरस्ती योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट ने 6 एनटीआर में रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया है। चाहा गया रास्ता गांव की तरफ से आने वाले रास्ते पर टकराता है। भूमि के बदले में भूमि देने को तैयार हैं। मु0 नं0 40 के किला नं. 3, 4, 5 में रास्ता नहीं है। तहसीलदार भादरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। मौका देख कर ही रिपोर्ट तैयार की गई है। अपीलाण्ट ने हमें परेशान करने के लिए अपील प्रस्तुत की है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2002 (2) पेज 961 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया

7. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2019 के द्वारा चक 6 एनटीआर के मु. नं. 31 के किला नं. 11, 20, 21 के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की कृषि भूमि में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकार किया है। अपीलाण्टा संख्या 1 जो कि स्व लाधूराम की पुत्री है उसका स्व0 लाधूराम की भूमि में हक निहित है एवं वह सहकाश्तकार है परन्तु उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उसे साक्ष्य सुनवाई का एवं जवाब का कोई अवसर नहीं दिया गया है। जबकि लाधूराम के फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्गनत भूमि में उसका हक हिस्सा है। उसे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उसकी हक हिस्से की भूमि में रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है। इसलिए अपीलाण्ट एक प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार है। अतः अपीलाण्टा का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

8. जहां तक गुणागवुण का का प्रश्न है रेस्पोडेण्ट ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत करने के लिए अन्तगत धारा 8 (2) राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट सपठित धारा 251''ए'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया था। उपखण्ड अधिकारी ने अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 18.11.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 28.06.2017 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ''ए'' के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार रास्ता के आवेदन का निस्तारण करे। विचारण न्यायालय ने उसके पश्चात् वर्तमान अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2019 के द्वारा चक 6 एनटीआर के मु. नं. 31 के किला नं. 11, 20, 21 के पश्चिमी तरफ अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकार किया है। अपीलाण्टा संख्या 1 जो कि स्व0 लाधूराम की पुत्री है एवं अपीलाण्ट संख्या 2, 3, 4 की बहन है उसका स्व0 लाधूराम की भूमि में हक निहित है एवं वह सहकाश्तकार है परन्तु उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उसे साक्ष्य सुनवाई का एवं जवाब का कोई अवसर नहीं दिया गया है जबकि लाधूराम के फौत होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्गनत भूमि में उसका हक हिस्सा

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। किसी खातेदार काश्तकार की भूमि के किसी हिस्से में से भी अगर रास्ता स्वीकृती का कोई आदेश दिया जाता है तो उसे सुना जाना आवश्यक है इसलिए अपीलाधीन निर्णय से अपीलाण्ट सं0 1 पीड़ित है एवं बतौर पीड़ित पक्षकार अपील प्रस्तुत कर रही है जिसकी स्वीकृति अपीलाण्ट सं0 1 को प्रदान की जानी न्यायहित में आवश्यक है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है एवं प्रकरण उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी भादरा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.02.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 25.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

(आशाराम डूडी)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.12 16:12:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: